

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्रीमती अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन निवासी 502, हितावाला टॉवर,
सेलीब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राज.)-313001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 017/2026 (RTI)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.26	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थीया श्रीमती अल्पना जैन पत्नी अनिल जैन निवासी 502, हितावाला टॉवर, सेलीब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर ने सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन दिनांक 12.12.2025 को आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थीया को लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p>	



.....लगातार

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद चित्तौड़गढ़, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस कार्यालय को प्रदत्त नहीं है जिससे हस्तगत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थीया को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्रशासक एवं सचिव, नगर विकास न्याय, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को निः शुल्क प्रेषित की जावे।

